मु. नं.	57/2014 महावीर बनाम हनुमान दावा
18/3/25	अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी को बार-बार आवाज लगवाई गई। लेकिन अधिवक्ता वादी उपस्थित नहीं आये। इसलिये वादी को एक अवसर हाजरी हेतु अवसर पेशी में स्थगित किया जाता है। फाइल निर्णीत शुमार होकर दर्ज नम्बर हो कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला-[illegible]